सवालम न० 6647
शब्द—393
फीस—12-50
शीट—1

न्यायालय एस.डी.ओ. हरैया
वाद सं० 11/10 अन्तर्गत धारा 143 A बाबत मौजा
रमुआ तौफीर तप्पा [illegible] परगना अमोढा तहसील
हरैया जिला बस्ती
अखिल [illegible] ——— बनाम ——— सरकार
ता० फै० 26-4-10

प्रतिलिपि आदेश दि० 26-4-10 की छायाप्रति

PT-O.

न्यायालय उपजिलाधिकारी, हर्रैया-बस्ती।

वाद संख्या [illegible]

अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधि०

मौजा-रमना तौफीर तप्पा दुबौलिया परगना अमोढा तहसील हर्रैया जिला-बस्ती।

अम्बिका राम देवी डिग्री कालेज समिति ---------बनाम------------ सरकार।

निर्णय

प्रस्तुत वाद अम्बिका राम देवी डिग्री कालेज समिति रमना तौफीर द्वारा चन्द्र कुमार अग्निहोत्री निवासी एल-4, सेक्टर-एम-73 पूर्वी रोड गुलाबी मन्दिर के पास अलीगंज, लखनऊ द्वारा अन्तर्गत धारा 143ज०वि०अधि० के तहत योजित करते हुए कहा गया है कि विवादित आराजी गाटा सं०-301कोरकबा 1.016हे० महाविद्यालय के स्वामित्व एवं अध्यासन की भूमि है। जिसमें महाविद्यालय के शिक्षण उपयोगार्थ भूमि भवन, खेल के मैदान एवं महाविद्यालय के शिक्षण भवन व परिसर हेतु आरक्षित है। कृषि प्रयोजन में उपयोग नहीं किया जा रहा है। विवादित आराजी कृषि, पशुपालन, बागवानी, कुक्कुट पालन व मत्स्य पालन के बजाय उपरोक्त अकृषिक उपयोग में लायी जाने के बावजूद कृषिक भूमि के रूप में अंकित है। भूमि अकृषिक हो जाने के बावजूद राजस्व अभिलेखों के पूर्व का अंकन, पूर्ववत अंकन के बने रहने से इस प्रार्थी को अनावश्यक रूप से भू-राजस्व का भुगतान करना पड़ रहा है। अन्त में अनुरोध किया गया है कि आराजी गाटा संख्या301 रकबा 1.016हे०स्थित मौजा रमनातौफीर को अकृषिक घोषित करते हुए भू-राजस्व के कम होने की सूचना अपर कलेक्टर को प्रेषित कराने की कृपा की जाये तथा राजस्व अभिलेखों में इसके अनुरूप अंकन कराने की कृपा की जाये।

प्रकरण की जांच तहसीलदार हर्रैया से करायी गयी। तहसीलदार द्वारा निर्धारित "प्रपत्र-नियम 135 उ०प्र०ज०वि०भ०व्य० नियमावली, 1952 अन्तर्गत धारा-143 ज०वि०अधि०" पर आख्या दिनांक 19.4.10 प्रस्तुत करते हुए उल्लिखित किया गया है कि विवादित आराजी कृषि, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन या बागवानी से इतर महाविद्यालय बिल्डिंग व बाउन्ड्रीवाल बना होने के कारण गैर कृषिक घोषित किये जाने योग्य है। गाटा संख्या 301मि/1.016हे० स्थित ग्राम रमना तौफीर अकृषिक होने के कारण भू०रा० से मुक्त किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध आख्या एवं अन्य कागजों का अवलोकन किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आराजी निजाई को अकृषिक घोषित करते हुए लगान से मुक्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

आदेश

अतः ग्राम रमनातौफीर तप्पा दुबौलिया परगना अमोढा के गाटा संख्या 301मि/1.016हे० को अकृषिक घोषित किया जाता है तथा लगान से मुक्त किया जाता है। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। वाद आवश्यक पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-26.4.2010

उपजिलाधिकारी, हर्रैया।

लिन: 279
फीस: 7=00
शब्द: 423
पृष्ठ: 2

(1)

न्यायालय उपजिलाधिकारी हर्रैया
कम्प्यूटरीकृत वाद नं. T20151714014.
वाद सं. 126/15 ... मौजा–
228 अन्तर्गत धारा 143 ज.वि. ... परगना. अमोढ़ा तहसील.
रामनगर ... तपा – ...
हर्रैया, जिला – बस्ती।
अरविन्द कुमार त्रिवेदी — बनाम — सामान्य जनता।
आवेदक
आदेश दिनांक 16-7-15
नकल आदेश दिनांक
नोट:- (आदेश की छायाप्रति संलग्न है।)

2
7=00
21-7-15

वाद संख्या T 2015171401 4258 बाबत ग्राम रमना तौफीर तथा दुबौलिया परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती।

अम्बिका राम देवी डिग्री कालेज समिति, —बनाम—————————ग्राम पंचायत
साडपुर, रमना तौफीर, बस्ती द्वारा
प्रबंधक श्री चन्द कुमार अन्तर्वेदी।

निर्णय

वादी संस्था अम्बिका राम देवी डिग्री कालेज, समिति रमना तौफीर, बस्ती के प्रबंधक श्री चन्द कुमार अन्तर्वेदी निवासी एल–4, सेक्टर एम/73, कुर्सी रोड, गलाकीन मंदिर के पास अलीगंज लखनऊ द्वारा डिग्री कालेज की सहखातेदारी की भूमिधरी आराजी गाटा संख्या 301/1.9160 हे0 में से 0.097 हे0 स्थित ग्राम रमना तौफीर को अकृषिक प्रयोजन की भूमि घोषित किये जाने हेतु जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि पर "महाविद्यालय का भवन बना है, जिसमें पठन–पाठन का कार्य किया जा रहा है। भूमि का कृषि से इतर अकृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है। अतएव उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में अकृषिक प्रयोजन की भूमि अंकित करते हुए भू राजस्व से मुक्त किया जाय। वादी संस्था के प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसील से आख्या प्राप्त किया गया।

वादी संस्था के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली में संलग्न नायब तहसीलदार की आख्या दिनांक 11.07.2015 जो तहसीलदार हरैया द्वारा दिनांक 16.07.2015 को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है में उल्लेख किया गया है कि ग्राम रमना तौफीर तथा दुबौलिया परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती की खतौनी वर्ष 1422–1427 फसली के खाता संख्या 392 के गाटा संख्या 301/1.9160 हे0 पर वादी संस्था का नाम संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार के रूप में अंकित है। तहसीलदार की आख्यानुसार वादी संस्था के नाम से गाटा संख्या 301 में 1.016 हे0 भूमि क्रय किया गया था जिसमें से रकबा 0.919 हे0 पूर्व में अकृषिक घोषित किया जा चुका है शेष रकबा 0.097 हे0 पर निर्माण कार्य करके भूमि का कृषि से इतर अकृषिक प्रयोजन, पठन–पाठन कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा है। अतएव उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों में अकृषिक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित करते हुए भू राजस्व से मुक्त किया जाय।

वादी संस्था के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुनने के उपरान्त पत्रावली में उपलब्ध तहसील की आख्या एवं अन्य अभिलेखों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। पत्रावली में संलग्न ग्राम रमना तौफीर तथा दुबौलिया परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती की खतौनी वर्ष 1422–1427 फसली के खाता संख्या 392 के गाटा संख्या 301/1.9160 हे0 पर वादी संस्था का नाम संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार के रूप में अंकित है। पत्रावली में जमींदारी विनाश अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था नियमावली में निर्धारित [illegible] आख्या एवं नजरी नक्शा संलग्न है। तहसीलदार की आख्या एवं पत्रावली में [illegible] बैनामा की छायाप्रति के अनुसार वादी संस्था के नाम से रमना तौफीर [illegible] गाटा संख्या 301 में 1.016 हे0 भूमि क्रय किया गया था जिसमें से रकबा 0.919 हे0 पूर्व में [illegible] किया जा चुका है तथा शेष रकबा 0.097 हे0 पर भी निर्माण कार्य करके भूमि [illegible] अकृषिक प्रयोजन/पठन–पाठन कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा है तो [illegible] उपयोग के अनुसार भूमि का राजस्व अभिलेखों में अकृषिक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित करते हुए भू राजस्व से मुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम रमना तौफीर तथा दुबौलिया परगना अमोढ़ा परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती की खतौनी सन् 1422–1427 फसली के खाता संख्या 392 के गाटा संख्या 301मि0/0.097 हे0 भूमि को अकृषिक प्रयोजन हेतु भूमि घोषित करते हुए लगान मुताबिक परता भू राजस्व से मुक्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के नियम 137 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में आदेश की प्रति उप निबंधक हरैया को प्रेषित किया जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अनुपालन आदेश पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाय।

दिनांक 16 जुलाई 2015

(आर0 बी0 सिंह)
उप जिलाधिकारी,
हरैया–बस्ती।

सत्य प्रतिलिपि
[illegible]
[illegible] उपजिलाधिकारी, हरैया बस्ती